न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), एटा।
उपस्थितः श्री सुबोध भारती, एच.जे.एस.

दाण्डिक प्रकीर्ण संख्याः 292/2018.

C.N.R. No. UPET01-0094002018

श्रीमती नीरज .. बनाम .. राकेश उर्फ पप्पू आदि

27.09.2021

पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई। पूर्व तिथि पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को बहस तलवी के विन्दु पर सुना जा चुका है। परिवादी द्वारा यह परिवाद विपक्षीगण को तलव फरमाकर दण्डित करने हेतु इन कथनों के साथ संस्थित किया गया है कि प्रार्थिया नीरज देवी पत्नी श्री हरी प्रताप निवासी ग्राम गॉगूपुरा थाना जैथरा जिला एटा की रहने वाली है। प्रार्थिया की बेटी की ससुराल ग्राम सुनाना थाना जवां जिला अलीगढ में है। प्रार्थिया की बेटी का निधन हो चुका है। प्रार्थिया की बेटी का एक लडका अनन्त कुमार व एक बेटी अमृता है वह प्रार्थिया के पास ही रहते है और इसी परिप्रेक्ष्य में बच्चों का भरण पोषण को लेकर उसके साथ लूट कारित की गयी और जान से मारने की धमकी दी गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पत्रावली में विपक्षी संख्या–1 लगायत 3 जिला अलीगढ के रहने वाले है और इसी प्रकार विपक्षी संख्या–6 व 7 जिला बुलन्दशहर के रहने वाले बताये गये है। परिवादिनी के द्वारा किसी भी विपक्षीगण की आयु परिवाद में नही लिखी गयी है। अतः इन परिस्थितियों में क्योंकि विपक्षीगण इस न्यायालय की अधिकारिता में निवास नही करते है। अतः यह न्यायोचित होगा कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित थाना से इस घटना के सम्बन्ध में जॉच आख्या मॅगायी जाये। अतः तथ्य की सही जानकारी के लिए मामले में धारा 202(1) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत विवेचना कराये जाने के उपरान्त ही कोई विधि संगत आदेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा।

–आदेश–

परिवाद की प्रति को धारा 202(1) दं0प्र0सं0 के तहत विवेचना हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को भेजी जावे। सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह मामले की विवेचना कर (**सम्बन्धित गवाहों के बयान मय हस्ताक्षरआख्या के साथ संलग्न करें**) अपनी आख्या न्यायालय में दिनॉक 30.10.2021 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। पत्रावली नियत दिनॉक को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0)
एटा।